



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-22032024-253298  
CG-AP-E-22032024-253298

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]  
No. 195]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

## भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

### अधिसूचना

हैदराबाद, 20 मार्च, 2024

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा /साधारण बीमा/प्रशुल्क/13/207/2024—यह अधिसूचना बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएलए की उप-धारा (1) के अनुसार जारी की जाती है, जो अधिनियम की छोड़ी हुई धारा 64यूसी, के अंतर्गत पहले की प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा अधिसूचित सभी प्रशुल्कों की अधिसूचना को निरस्त करने के लिए व्यवस्था करती है, जिनका प्रचलन में होना जारी है।

1. यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2006 में, प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा प्रशुल्कों को वापस लेने के अनुसरण में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (i) के अंतर्गत अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संदर्भ. 034/आईआरडीए/डी-टैरिफ़/दिसंबर-06 दिनांक 4 दिसंबर 2006 जारी की कि संबंधित प्रशुल्कों के अंतर्गत अग्नि, इंजीनियरिंग, मोटर, कर्मकार प्रतिकर और बीमा के अन्य वर्ग जैसे व्यवसाय के कुछ वर्गों के लिए लागू सामान्य विनियमों (प्रीमियमों/प्रीमियम रेटिंग से संबंधित को छोड़कर अन्य), शर्तों, निबंधनों, खंडों, वारंटियों, पालिसी और पृष्ठांकन वाक्य-रचना का अनुसरण अगले आदेशों तक जारी रहेगा।

2. अब बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएलए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा अधिसूचित करता है कि प्रचलित निम्नलिखित सभी प्रशुल्कों की अधिसूचना को पूर्णतः निरस्त किया गया है तथा ये प्रशुल्क 01.04.2024 से प्रभावी रूप में प्रचलन में नहीं हैं :

क) अग्नि बीमा प्रशुल्क (अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क, 2001 को छोड़कर अन्य, जो प्रशुल्क अधिसूचना दिनांक 28 दिसंबर 2020 द्वारा पहले ही वापस लिये गये हैं), अर्थात्

- i. अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क
- ii. औद्योगिक सभी जोखिम प्रशुल्क
- iii. परिणामी हानि (अग्नि) प्रशुल्क
- iv. पेट्रो-केमिकल प्रशुल्क
- v. संकटमय वस्तुओं की सूची

ख) मोटर, अर्थात् अखिल भारतीय मोटर प्रशुल्क

ग) इंजीनियरिंग बीमा प्रशुल्क, अर्थात् :

- i. ठेकेदार सभी जोखिम बीमा
- ii. ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी बीमा
- iii. मशीनरी खराबी बीमा
- iv. इलेक्ट्रानिक उपस्कर बीमा
- v. सिविल इंजीनियरिंग पूर्ण जोखिम बीमा
- vi. परिनिर्माण सभी जोखिम/भंडारण-व-परिनिर्माण बीमा
- vii. लाभ की हानि (एमबी एण्ड बीएलओपी) बीमा
- viii. बायलर और दबाव पात्र बीमा
- ix. माल का हास-(आलू) बीमा

घ) विविध, अर्थात् कर्मकार प्रतिकर बीमा प्रशुल्क।

ङ) मरीन, अर्थात् चाय प्रशुल्क

3. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी बीमाकर्ता किसी भी समय इस अधिसूचना के पूर्व अस्तित्व में विद्यमान किसी भी प्रशुल्क उत्पाद का उपयोग किसी ग्राहक द्वारा करने के विषय में पीछे नहीं हटेगा अथवा उसका उपयोग करने से किसी ग्राहक को हतोत्साहित नहीं करेगा अथवा ऐसा कोई भी प्रशुल्क उत्पाद किसी भी ग्राहक को देने से अस्वीकार नहीं करेगा।

4. इसके द्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि **01.04.2024 से प्रभावी रूप में** उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में बताये गये अधिसूचना-निरस्त प्रशुल्कों के दायरे में आनेवाले जोखिमों का कवरेज आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 तथा प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, साधारण बीमा व्यवसाय में उत्पादों और प्रक्रियाओं संबंधी मास्टर परिपत्र (दिशानिर्देश) के अधीन होगा।

देवाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./851/2023-24]

## INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

Hyderabad, the 20th March, 2024

**F. No.: IRDAI//Gen Insurance/Tariff/13/207/2024**—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 64 ULA of the Insurance Act, 1938, which provides for de-notification of all tariffs notified by the erstwhile Tariff Advisory Committee under the omitted section 64UC of the Act, and which continue to be in force.

1. It may be noted that in the year 2006, pursuant to withdrawal of tariffs by the Tariff Advisory Committee, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (“Authority”) in exercise of the powers vested in it under clause (i) of sub section (2) of section 14 of the IRDA Act, 1999, issued notification Ref.034/IRDA/De-Tariff/Dec-06 dated 4th December, 2006 that the general regulations (other than those relating to premiums/ premium rating), terms, conditions, clauses, warranties, policy and endorsement wordings applicable to certain classes of business such as Fire, Engineering, Motor, Workmen’s Compensation and other classes of insurances under the relevant Tariffs shall continue to be followed until further orders.

2. Now, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 64 ULA of the Insurance Act, 1938, the Authority hereby notifies that all the following prevailing tariffs :

- a) Fire Insurance Tariffs (other than All India Fire Tariff, 2001 which was already de-tariffed vide notification dated 28<sup>th</sup> December, 2020), namely
  - i. All India Fire Tariff
  - ii. Industrial All Risks Tariff
  - iii. Consequential Loss (Fire) Tariff
  - iv. Petro-chemical Tariff
  - v. List of Hazardous Goods
- b) Motor, namely All India Motor Tariff
- c) Engineering Insurance Tariffs, namely;
  - i. Contractors All Risk Insurance
  - ii. Contractors Plant and Machinery Insurance
  - iii. Machinery Breakdown Insurance
  - iv. Electronic Equipment Insurance
  - v. Civil Engineering Completed Risks Insurance
  - vi. Erection All Risk/Storage Cum Erection Insurance
  - vii. Loss of profit (MB & BLOP) Insurance
  - viii. Boiler and Pressure Vessels Insurance
  - ix. Deterioration of Stocks-(potato) Insurance
- d) Miscellaneous, namely Workmen’s Compensation Insurance Tariffs.
- e) Marine, namely Tea Tariff

stand entirely de-notified and no longer in force **effective 01.04.2024**.

3. It is however clarified that no insurer shall at any time withdraw or discourage the use of or decline to offer to any customer any of the tariff products which have been in existence prior to this notification.

4. It is hereby further notified that **effective 01.04.2024**, the coverage of risks coming within the scope of the de-notified tariffs stated in paragraph 2 above shall be subject to the IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024 and Master Circular (Guidelines) on products and procedures in general insurance business, as specified by the Authority.

DEBASISH PANDA, Chairperson  
[ADVT.-III/4/Exty./851/2023-24]